

अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2014 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न आन्तरिक संसाधन की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति – यथापंजी।

सर्वप्रथम आज दिनांक 14.10.2014 को अधोस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आन्तरिक संसाधन से जुड़े पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा की गयी। सभी पदाधिकारियों को आन्तरिक संसाधन के महत्व के बारे में बताया गया कि विकास के लिए संसाधन का होना आवश्यक है। संसाधन जुटाने में आपकी अहम भूमिका है। सभी विभाग से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन पर बिन्दुवार विशेष एवं विस्तृत समीक्षा की गयी।

2. राष्ट्रीय बचत :-

राष्ट्रीय बचत से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया वार्षिक लक्ष्य 27.00 (सताईस) करोड़ है। माह सितम्बर, 2014 तक लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 37.39 प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी से पूछा गया कि सात माह बितने के पश्चात् लक्ष्य के विरुद्ध कम प्राप्ति हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि किसान विकास पत्र का निकासी अधिक हो रही है एवं विगत कई वर्षों से किसान विकास पत्र बंद है। वर्तमान वर्ष में किसान विकास पत्र जारी करने का केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभिकर्ताओं के साथ कार्य योजना तैयार कर अपने अधीनस्थ एजेन्टों को अपेक्षित प्रगति हेतु प्रोत्साहित करेंगे। यदि माह अक्टूबर, 2014 तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो विभाग को आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा।

3. वाणिज्य कर :-

वाणिज्यकर से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बकाया सहित वार्षिक लक्ष्य 83 करोड़ 54 लाख 83 हजार रुपये हैं। लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 19 करोड़ 02 लाख 38 हजार ₹ की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का मात्र 22.76 प्रतिशत है। सहायक वाणिज्यकर पदाधिकारी से कम वसूली के संबंध में पूछा गया कि वसूली कम होने का कारण क्या है ? परन्तु उनके द्वारा कोई युक्ति संगत तर्क नहीं दिया गया।

गत बैठक में वाणिज्यकर पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि रात्रि में निरीक्षण मोबाईल चेकिंग कर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्रवाई करेंगे साथ ही यह भी निदेश दिया गया था कि रेलवे को जो सुविधा दी जा रही है, के क्रम में विगत दो वर्षों में कितना माल मँगाया गया है, की समीक्षा कर Demand Create कर वसूली के संबंध में कार्रवाई करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पुनः निदेश दिया जाता है कि कार्य योजना तैयार कर Regular Inspection एवं Mobile checking कर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें, अन्यथा बाध्य होकर विभाग को लक्ष्य के विरुद्ध कम वसूली के संबंध में अवगत कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई हेतु लिखा जाएगा।

4. नीलाम वाद :-

नीलाम वाद के प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बकाया सहित वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2014-15 का 30.18 (तीस करोड़ अठारह लाख) रुपये हैं। लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 01 करोड़ 85 लाख रू0 की वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 06.13 प्रतिशत है।

गत बैठक में नीलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार बैंक के शाखा प्रबंधको से सम्पर्क कर शस्त्र बल के साथ ऋण वसूली का कार्य करेंगे। उसके पश्चात् ही वसूली में प्रगति होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। नीलाम पत्र पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये। अपर समाहर्ता बैठक से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

पुनः निदेश दिया जाता है कि विगत बैठक में दिये गये निदेशों का पालन करते हुए वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

5. विद्युत :-

विद्युत से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विद्युत विभाग द्वारा बकाया की राशि का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा 9.99 करोड़ लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य के विरुद्ध 66.86% की वसूली हुयी है। कार्यपालक अभियंता बैठक में भाग नहीं लिए। बैठक में भाग नहीं लेने के कारण उनका एक दिन का वेतन स्थगित किया जाता है। अपर समाहर्ता स्पष्टीकरण प्राप्त कर स्थिति की जानकारी से अवगत करायेंगे कि किस परिस्थिति में बैठक में भाग नहीं ले सकें।

6. निबंधन :-

निबंधन कार्यालय से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निबंधन कार्यालय, मुंगेर, खड़गपुर एवं तारापुर का कुल मिलाकर 32.00 करोड़ का लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के विरुद्ध निबंधन कार्यालय, मुंगेर में 9.44 करोड़ की प्राप्ति हुयी है, जो लक्ष्य का 44.40 प्रतिशत है तथा खड़गपुर निबंधन कार्यालय में लक्ष्य के विरुद्ध 2.44 करोड़ की प्राप्ति हुयी है, जो लक्ष्य का 46 प्रतिशत है। उसी प्रकार तारापुर निबंधन कार्यालय में 2.14 करोड़ की प्राप्ति हुयी है, जो लक्ष्य का 42.50 प्रतिशत है। संबंधित जिला अवर निबंधन पदाधिकारी से पूछा गया कि 07 माह बीत चुका है, परन्तु लक्ष्य की प्राप्ति औसतन 45 प्रतिशत से कम है। जबकि विगत बैठक में निदेश दिया गया था कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु

ए0भी0आर0 के अनुसार स्थलीय जाँच कर दिये गये निबंधन शुल्क की सम्पुष्टि करेंगे। ऐसा करने से निबंधन शुल्क में बढ़ोतरी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों के द्वारा निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

पुनः निदेश दिया जाता है कि पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा विभाग को विधि सम्मत कार्रवाई हेतु लिखा जायेगा।

7. खनन :-

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 12.26 करोड़ है। माह सितम्बर, 2014 तक कुल वसूली 1.87 करोड़ हुआ है, जो लक्ष्य का 15.29 प्रतिशत है।

जिला खनन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के प्राप्ति हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई करेंगे।

8. परिवहन :-

जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 का वार्षिक लक्ष्य 6.05 करोड़ है। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माह सितम्बर, 2014 तक 2.92 करोड़ की वसूली की गयी है, जबकि मोटर यान निरीक्षक द्वारा चालू माह में कुछ भी वसूली के संबंध में कार्रवाई नहीं की गयी है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक बैठक में अनुपस्थित पाये गये। बताया गया कि अनुज्ञप्ति के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटर यान निरीक्षक से बैठक से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

9. मुंगेर नगर निगम :-

मुंगेर नगर निगम से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2014-15 का बकाया सहित 5 करोड़ 45 लाख 44 हजार रुपये है। बकाया सहित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह सितम्बर तक 156.48 लाख का प्राप्ति हुआ है, जो लक्ष्य का 28.69 प्रतिशत है।

गत बैठक में निदेश दिया गया था कि लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

पुनः नगर आयुक्त, नगर निगम को निदेश दिया गया कि होल्डींग टैक्स के बड़े बकायादारों के विरुद्ध वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे, उसके पश्चात् ही वसूली हो पायेगा।

